महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या : 1124 / आठ–1–24

प्रेषक,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2024

विषयः आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आगामी त्याहारों यथा–गणेश चतुर्थी, शरद नवरात्रि, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूॅजा व अन्य धार्मिक आयोजनों एवं उनसे संबंधित उत्सवों के दृष्टिगत शहर की चाक–चौबन्द व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना अति–आवश्यक है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पर्वो को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के संबंध में निम्नवत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(2) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में पर्याप्त जलापूर्ति एवं सीवेज लीकेज को दुरूस्त किया जाए।

(3) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों के सम्पर्क मार्गो की सड़कों का मरम्मत एवं उन्हें गड्ढ़ामुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में प्रदूषित जल भराव / जल जमाव न होने दिया जाए।

(5) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में मच्छरो को नियंत्रण करने हेतु फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(6) प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में स्थित धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त सी0सी0टी0वी0 / ड्रोन कैमरे से उक्त स्थल की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

(7) प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में बिजली, पानी एवं प्रकाश व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइटों का दुरस्तीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों के आस पास की नदियों/तालाबों/जलाशयों के घाटों पर साफ-सफाई का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।

(9) श्रद्धालुगण के पूंजा/अनुष्ठान एवं स्नान आदि का उचित प्रबन्ध के साथ-साथ उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त चेन्जिंग रूम/मोबाइल शौचालय/शुद्ध पेय जल इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(10) उक्त पर्वों से जुड़े स्थलों पर भीड-भाड एवं यातायात को नियंत्रित किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार बैरीकेटिंग/डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(11) स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए श्रद्धालुगण के स्वास्थ्य सुविधा हेतु मेडिकल कैम्प का प्रबन्ध किया जाए।

(12) आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यकतानुसार गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

(13) मूर्ति विसर्जन वाले मार्गों को चिन्हित कराते हुए उनकी मरम्मत/गड्ढामुक्ति एवं पथ प्रकाश की व्यवस्था तथा उक्त मार्ग पर चूना/ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Nitin Ramesh Gokarn
Date: 13-09-2024 19:22:17

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर महानिदेशक (सुरक्षा), पुलिस विभाग, उ0प्र0।
4. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।

E:/M/Go 2023